विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2180 सत्र जुलाई 2025 द्वारा डॉ. योगेश पंडाग्रे
के उत्तरांश 'क' का परिशिष्ट-एक
सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.08.2025

प्रश्न क्रमांक 654 दिनांक 18 मार्च 2025 के संलग्न परिशिष्ट-2 में बताई गई अनुपयुक्त भूमि या वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई भूमि एवं वनखण्डों में शामिल भूमि में से वन विभाग ने वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 एवं वर्ष 1975 तथा वर्ष 1990 में राजस्व विभाग को अन्तरित भूमि की जानकारी:-

क्र.	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	अनुपयुक्त भूमि या वनखण्डों के बाहर छोडी गई भूमि में से राजस्व विभाग को अंतरित रकबा (हे0 मे)				वनखण्डों में शामिल भूमि में से राजस्व विभाग को अंतरित रकबा (हे0 मे)			
			1965	1971	1975	1990-91 (निर्वनीकृत भूमि)	1965	1971	1975	1990-91 (निर्वनीकृत भूमि)
1	बैतूल	उत्तर बैतूल	1005.026	4505.061	निरंक	194.227	निरंक	निरंक	निरंक	25.283
2		दक्षिण बैतूल	748.35	9024.45	निरंक	374.201	निरंक	निरंक	निरंक	118.159
3		पश्चिम बैतूल	94.29	3979.02	निरंक	731.343	निरंक	निरंक	निरंक	74.817
योग			1847.666	17508.531	निरंक	1299.771	निरंक	निरंक	निरंक	218.259

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

उप वन संरक्षक
(वन भू-अभिलेख)
मध्यप्रदेश, भोपाल
25/07/25

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2180 सत्र जुलाई 2025 द्वारा डॉ. योगेश पंडाग्रे के उत्तरांश 'घ' का परिशिष्ट-दो

सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.08.2025

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख

(कक्ष-कार्य आयोजना)

ब्लाक- ए, तृतीय तल, वन भवन तुलसी नगर मध्यप्रदेश भोपाल

ई-मेल pccfwp@mp.gov.in

दूरभाषः- 0755-2524141

क्रमांक/तकनीकी/वि.स.757/ 817 — भोपाल दिनांक, 6-5-25

प्रति,

समस्त
कार्य आयोजना अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः- अन्य विभागों को बिना निर्वनीकरण के उपयोग में दी गई वन भूमि का उल्लेख अभिलेखों में करने बावत्।

संदर्भः- भारत सरकार की नस्ती क्रमांक/7/25/2024-FC दिनांक 28.04.2025 एवं मा.सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिनांक 04.03.2025.

---0---

कृपया विषयान्तर्गत लेख है कि विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-757 के सम्बन्ध में तथ्य प्रकाश में आया है कि अन्य विभागों को बिना निर्वनीकरण के हस्तांतरित वन भूमि का उल्लेख एवं विस्तृत विवरण कार्य आयोजना, एरिया रजिस्टर एवं वन कक्ष इतिहास में नहीं किया जा रहा है।

अतः संदर्भित नस्ती में दिये गये निर्देशानुसार [वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के नियम 16 (1) अनुसार जिले की डूब में आई वन भूमि एवं बिना निर्वनीकरण के अन्य विभागों को दी गई वन भूमियाँ (सिंचाई विभाग, अधिक अन्न उपजाऊ, हवाई पट्टी (Air strips) अथवा अन्य उपयोग में दी गई वन भूमि इत्यादि उल्लेख एवं विस्तृत विवरण कार्य आयोजना, एरिया रजिस्टर एवं वन कक्ष इतिहास में किया जाकर इस क्षेत्र को डूब अथवा हस्तांतरित क्षेत्र लिखा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिक अन्न उपजाऊ योजना हेतु हस्तांतरित क्षेत्र का उल्लेख भी कार्य आयोजना, एरिया रजिस्टर एवं वन कक्ष इतिहास में किया जाये।]

(मनोज कुमार अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/तकनीकी/वि.स.757/ 818 — भोपाल दिनांक, 6-5-25

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (आंचलिक) भोपाल/इंदौर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त वनमंडलाधिकारी (सा.) वनमंडल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

-127

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल